**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**
**02.04.2025 के**
**अतारांकित प्रश्न सं. 5248 का उत्तर**

**काजीपेट रेल मंडल की स्थापना**

**5248. डॉ. कडियम काव्य:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या रेलवे ने विशाखापत्तनम के विद्यमान रेल मंडल की तर्ज पर काजीपेट रेल मंडल की स्थापना के लिए दीर्घकाल से लंबित सार्वजनिक मांग के प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ख) पूर्व में की गई घोषणानुसार वारंगल में एक आवधिक ओवरहालिंग (पीओएच) इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;**

**(ग) क्या सरकार ने तेलंगाना में रेल कार्यशालाओं या अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए किन्हीं नए स्थानों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(घ) सरकार द्वारा काजीपेट रेल वैगन विनिर्माण इकाई सहित तेलंगाना में चल रही रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (घ): भारतीय रेल में मंडल की स्थापना मितव्ययिता और दक्षता के अनुरूप आकार, कार्यभार, पहुंच, यातायात स्वरूप और अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। काजीपेट सहित सिकंदराबाद मंडल अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली लाइनों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।**

**भारतीय रेल में चल स्टॉक विनिर्माण/अनुरक्षण अवसंरचना का निर्माण/उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और यह परिचालनिक, यातायात आवश्यकताओं आदि पर आधारित है। भारतीय रेल ने काजीपेट, तेलंगाना में 521.36 करोड़ रुपए की लागत वाली एक रेल विनिर्माण इकाई को**

विकसित करने की योजना बनाई है जो विभिन्न प्रकार के आधुनिक चल स्टॉक का विनिर्माण और अनुरक्षण करने में सक्षम होगी। फरवरी, 2025 तक, इस कार्य पर पहले ही 282.1 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा तीव्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत के भाग को जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना/परियोजनाओं स्थल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना विशेष स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, तेलंगाना राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 32,946 करोड़ रुपए की लागत वाली 2,298 किलोमीटर की कुल लंबाई की 20 परियोजनाएं (07 नई लाइन और 13 दोहरीकरण) हैं जो योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 474 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2024 तक 9,958 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इस कार्य की स्थिति निम्नानुसार हैः-

| योजना शीर्ष | परियोजनाओं की संख्या | कुल लंबाई (कि.मी. में) | कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में) | मार्च 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| नई लाइन | 7 | 997 | 245 | 4433 |
| दोहरी लाइन | 13 | 1301 | 230 | 5526 |
| कुल | 20 | 2298 | 474 | 9958 |

तेलंगाना राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाएं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

| वर्ष | बजट परिव्यय |
|---|---|
| 2024-2025 | 5,336 करोड़ रु. |
| 2025-2026 | 5,337 करोड़ रु. |

**वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान तेलंगाना राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली नई रेल लाइन बिछाने/कमीशनिंग का विवरण निम्नानुसार है:**

| अवधि | कमीशन की गई कुल लंबाई | कमीशन की गई औसत लंबाई | 2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग के संबंध में वृद्धि |
|---|---|---|---|
| 2009-14 | 87 कि.मी. | 17.4 कि.मी. प्रति वर्ष | - |
| 2014-24 | 650 कि.मी. | 65 कि.मी. प्रति वर्ष | लगभग 4 गुना |

**रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं:- (i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फ़ील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना। इसके परिणामस्वरूप, 2014 से कमीशनिंग की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।**

*****